BIHAR

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, एन.एस.-बी/2, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800010

अधि० सू० सं०:- 27 पटना, दिनांक:- 09.12.19

अधिसूचना

बिहार राज्य अवस्थित ऑटोमोबाईल सर्विस रिपेयरींग एवं पेन्टींग आदि से जुड़ी इकाईयों (धुलाई सहित) को उद्योगों के वर्गीकरण में नारंगी श्रेणी तथा सर्विस स्टेशन (धुलाई रहित) को उजला श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। धुलाई रहित ऑटो सर्विस स्टेशन से भी मोबिल, ग्रीस आदि के बदलने के क्रम में प्रदूषण की संभावना को देखते हुए पर्षद मंडल की 108वीं बैठक दिनांक 24.10.2019 की कार्यावली सं0-5 में लिए गए निर्णय के अनुसार ऑटो सर्विस स्टेशन (धुलाई रहित) जिनमें मोबिल, ग्रीस आदि बदलने का कार्य किया जाता है को 'हरा' श्रेणी तथा जिनमें मोबिल, ग्रीस आदि बदलने का कार्य नहीं किया जाता हो तथा जिनसे जल/ वायु प्रदूषण की संभावना नहीं है, वैसी इकाईयों को **'उजला'** श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

यह निर्णय अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/-
(आलोक कुमार)
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक- पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-बिहार उद्योग संघ/ बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(आलोक कुमार)
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक- 1589 पटना, दिनांक:- 09.12.19

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/ सभी सहायक पर्यावरण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/19

(आलोक कुमार)
सदस्य-सचिव